रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235941
CG-DL-E-21052022-235941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 375(अ).—भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के कतिपय विनियमों के प्रारूप में और संशोधन करने के लिए, बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) (केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.156 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 24 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड, बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 4ज, उप-विनियम (3) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(i) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड स्थायी परीक्षा समिति या कोई अभिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत क्षेत्रीय स्थायी परीक्षा समिति निम्नलिखित पद्धति के अनुसार परीक्षा संचालित करेगा, अर्थात:-

(क) लिखित परीक्षा में पेपर की ऐसी संख्या जैसे केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड स्थायी परीक्षा समिति द्वारा विनिश्चय किया गया हो, डिज़ाइन, विनिर्माण, प्रचालन और बॉयलर का अनुरक्षण, विंध्वासात्मक परीक्षण तकनीक, विनिर्माण के दौरान बॉयलरो का निरीक्षण और प्रमाणीकरण और भारतीय बॉयलर विनियम के अनुसार उसका उपयोग अंतर्विष्ट होगा (70 प्रतिशत को वरीयता);

(ख) मौखिक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए अभ्यर्थी वैयक्तिक लिखित परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत और कुल मिलाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे;

(ग) उपरोक्त से संबंधित मौखिक परीक्षा (30 प्रतिशत को वरीयता);

(घ) अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के क्रम में उसके कुल प्राप्तांक का कम से कम 60 प्रतिशत सुनिश्चित करेगा (लिखित परीक्षा की 70 प्रतिशत वरीयता होगी और मौखिक परीक्षा की 30 प्रतिशत वरीयता होगी)

(ङ) केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड, परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को उत्तीर्ण श्रेणी का प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

[फा. सं. पी-30026/4/2020-बॉयलर]

टी.एस.जी. नारायणन, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 600 तारीख 15 सितंबर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 551(अ), तारीख 11 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 375(E).—WHEREAS certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published as required under sub-section (1) of section 31 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), (Central Boilers Board) number G.S.R. 156 (E), dated the 24th February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th February, 2022;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public on the said draft regulations;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 4J, in sub-regulation (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:─

"(i) an examination shall be conducted by the Central Boilers Board Examination Standing Committee or an agency or Regional Examination Standing Committees authorised by it, as per the following examination methods, namely:-

(a) written Examination consisting of such number of papers as the Central Boilers Board Examination Standing Committee may decide, on design, manufacture, operation and maintenance of the boiler, Non Destructive Testing Techniques, inspection and certification of boilers during manufacture and use as per Indian Boiler Regulations(70% weightage);

(b) candidate shall secure at least 45% marks in individual written examination papers and at least 60% marks in aggregate to qualify for viva-voce;

(c) viva-voce on the above (30% weightage);

(d) candidate shall secure at least 60% marks in aggregate **(**written exam with 70% weightage and viva-voce with 30% weightage) in order to pass the examination;

(e) the Central Boilers Board shall issue a passing grade certificate to the candidate after passing the examination.".

[F. No. P-30026/4/2020-Boiler]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.R.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and lastly amended *vide* G.S.R. 551(E), dated the 11th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.05.21 14:46:50 +05'30'